करती है, इस शर्त के अधीन रहते हुए, कि यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस प्रकार की कार्यवाही करना लोकहित में आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार सभी या किसी एक राज्य सरकारों की बाबत शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या वह स्वयं अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों का अवलंब ले सकेगी।

[संख्या 1(38)/86-पी. एल.]
का. पा. गीताकृष्णन, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 22nd September, 1988

NOTIFICATION

S.O. 881(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the Act to the State Governments of Goa and Jammu & Kashmir subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all or any one of the State Governments or may itself invoke the provisions of section 5 of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[No. 1(38)/86-PL]

K. P. GEETHAKRISHNAN, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 480] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 1988/भाद्रपद 31, 1910
No. 480] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 1988/BHADRA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नयी दिल्ली, 22 सितम्बर, 1988

अधिसूचना

का.आ. 882(अ).—नौवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 3 अप्रैल, 1987 के का. आ. सं. 305(अ) की अधिसूचना के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कम्पनी लि. को, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्टर्ड कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (निर्मोन हाउस), 254-बी, डा. एनी बेसेंट रोड, बम्बई-400025 है अभिहित व्यक्ति के रूप में नियुक्त करती है और उक्त अभिहित व्यक्ति को उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य शक्तियों और कार्यों का निम्न प्रकार प्रत्यायोजन करती है अर्थात् :—

(1) उत्सादन से पूर्व, नौवहन विकास निधि समिति और शिपयार्डों या पोतनिर्माताओं के बीच सम्पन्न संविदाओं की शर्तों के अनुसार, पोत निर्माण का प्रत्येक चरण पूरा हो जाने पर, शिपयार्डों या पोत निर्माताओं को नौवहन कम्पनी और शिपयार्ड को, जैसी भी स्थिति हो, अथवा पोतनिर्माता को भुगतान इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि प्रथम चरण के अन्त में भुगतान की राशि जारी करने से पूर्व, अभिहित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा;

(2) नौवहन विकास निधि समिति के उत्सादन से पूर्व, समिति द्वारा किए गये ऐसे भुगतानों के लिए, जिसके संबंध में संविदागत दायित्व भी विद्यमान हों, समर्थनकारी बाह्य ऋणों का भुगतान इस शर्त पर किया जाएगा कि मूलधन और ब्याज की चुकौती के मामले में, नौवहन कम्पनी की ओर से कोई चूक नहीं की गयी है अथवा चूक की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार की किसी योजना के अनुसार किस्तों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है;

(3) नौवहन विकास निधि समिति के उत्सादन से पूर्व, समिति द्वारा निष्पादित गारंटियों अथवा प्रतिगारंटियों के संबंध में विदेशी शिपयार्ड से आस्थगित यार्ड ऋणों के बारे में किसी हिताधिकारी द्वारा गारंटी अथवा प्रतिगारंटी का सहारा लिये जाने की दशा में रकमों का भुगतान;